

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2922/2012

1. Smt. Aparaj Chlana W/o Late Shri Rajendra Chlana, Aged 33 Years.
2. Rishabh Chlana S/o Late Shri Rajendra Chlana, Aged 8 Years.
3. Ku. Sanchita D/o Late Shri Rajendra Chlana, Aged 5 Years.

Appellant No. 2 And 3 Are Minor Through Their Nature Guardian Mother Smt. Aparaj Chlana.

All R/o C-416, Vaishali Nagar, Jaipur. At Present Residing At H.No. 363/2, Sector No.- 44A, Chandigarh (Punjab)

----Claimants-Appellants

Versus

1. Trilok Chand S/o Shri Girdhari Lal Bunkar, R/o Village Dudhi Amlod, P.S. Manoharpur, Distt. Jaipur (Driver Of The Pickup Jeep No. RJ-14-1G-4871).
2. M/s Hotel Samod Place Gangapole, Jaipur Through Partner Shri Raghvendra Singh S/o Shri Rawal Rajeshwar Singh And Yadvendra Singh S/o Shri Rawal Rajeshwar Singh Rajput, R/o Samod House, Gangapole, Jaipur, Distt. Jaipur. (Owner Of The Pickup Jeep No. RJ-14-1G-4871).
3. United India Insurance Co. Ltd. Through Its Regional Manager, Regional Office Sahara Chamber, Tonk Road, Jaipur. (Owner Of The Pickup Jeep No. RJ-14-1G-4871).

----Non-Claimants/Respondents

4. Smt. Satnam Devi W/o Shri Balkrishna Chlana, Aged 62 Years.
5. Balkrishna Chlana S/o Shri Lokuram Chlana, Aged 64 Years.

R/o C-416, Vaishali Nagar, Jaipur.

----Performa Respondents/Claimants

For Appellant(s) : Mr. Jai Prakash Gupta, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Raaj Pal Chaudhary, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**Judgment****01/05/2026**

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत **न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या-89/2010, श्रीमती अपरा चलाना व अन्य बनाम त्रिलोकचंद व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 20.04.2012** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **राजेन्द्र चलाना** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 14,41,30,000/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **36,90,000/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय, उसकी मृत्यु पूर्व दाखिल की गयी आयकर विवरणिका के आधार पर निर्धारित करते हुए अत्यंत कम राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है, जबकि मृतक की आय उसकी मृत्यु के ठीक पश्चात् दाखिल की गयी अंतिम आयकर विवरणिका के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर तथा व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग के स्थान पर 1/3 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम

की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को संशोधित कर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये :-

- **Sayar Vs. Ramkaran** reported in **2025 Supreme (Online) (SC) 111337 &**
- **Nidhi Bhargava & Ors. Vs. National Insurance Company Ltd. & Ors.** reported in **2025 SCC OnLine SC 872.**

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 05.08.2007 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक राजेन्द्र चलाना को डॉक्टर होना बताते हुए मृत्यु के समय 10,50,000/- रुपये वार्षिक आय अर्जित करना बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की वित्तीय वर्ष 2004-2005 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-17, वित्तीय वर्ष 2005-2006 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-18 तथा वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-19 पत्रावली पर पेश की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की वित्तीय वर्ष 2006-2007 की आयकर विवरणिका में दर्शायी गयी सकल आय में से खर्चा राशि को घटाया जाकर शेष रही सकल आय को आधार मानते हुए मृतक की कुल वार्षिक आय 3,10,929/- रुपये निर्धारित की गयी है। जबकि उक्त आयकर विवरणिका में दर्शायी गयी सकल आय को आधार माना जाना चाहिए था। मृतक की वित्तीय

वर्ष 2004-2005/कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-17 में मृतक की कुल सकल आय 2,36,112/- रुपये, वित्तीय वर्ष 2005-2006/कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-18 में कुल सकल आय 2,83,878/- रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2006-2007/कर निर्धारण वर्ष 2007-2008 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-19 में कुल सकल आय 5,10,441/- रुपये दर्शायी गयी है, जिनमें मृतक की वार्षिक आय भिन्न-भिन्न वित्तीय वर्षों में घटती-बढ़ती रही है। घटना दिनांक 05.08.2007 की बताई गयी है तथा आयकर विवरणिकाएं प्रदर्श-17 व 18 स्वयं मृतक द्वारा मृत्यु पूर्व दाखिल की गयी हैं तथा आयकर विवरणिका प्रदर्श-19 मृतक की मृत्यु के लगभग दो माह पश्चात् दाखिल की गयी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Nidhi Bhargava (supra)** के मामले यह मत व्यक्त किया गया है कि :-

"12. Just because on the date of the accident i.e., 12.08.2008, the Return for the Assessment Year 2008-2009 had not been filed, cannot disadvantage the appellants, for the reason that the period for which the Return is to be submitted covers the period starting 1st of April, 2007 and ending 31st March, 2008. Thus, for obvious reasons, the Return would be only for the period 01.04.2007 to 31.03.2008, and date of submission would be post-31.03.2008. No income earned beyond 31.03.2008 would reflect in the Income Tax Return for the Assessment Year 2008-2009. To reject the Return on the sole ground of its submission after the date of accident alone, in our considered view, cannot be legally sustained."

7. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतक की मृत्यु पश्चात् दाखिल की गयी आयकर विवरणिका पर विश्वास किया जाकर मृतक की आय निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय **Nidhi Bhargava (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए मृतक की मृत्यु के पश्चात् दाखिल की गयी वित्तीय वर्ष 2006-2007/कर

निर्धारण वर्ष 2007-2008 की आयकर विवरणिका प्रदर्श-19 पर विश्वास करते हुए उक्त आयकर विवरणिका में दर्शायी गयी सकल आय 5,10,441/- रुपये की मृतक की वार्षिक आय निर्धारित किया जाना उचित समझती है।

8. जहां तक आयकर कटौती का प्रश्न है तो इस संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-2007/कर निर्धारण वर्ष 2007-2008 में 1,00,000/- रुपये तक की आय पर आयकर शून्य व 1,00,001/- रुपये से 1,50,000/- रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत आयकर, 1,50,001/- रुपये से 2,50,000/- रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत आयकर तथा 2,50,000/- रुपये व उससे अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर देय था। मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 5,10,441/- रुपये में से 1,00,000/- रुपये घटाने के उपरांत मृतक की शेष वार्षिक आय 4,10,441/- रुपये रहती है, जिसमें 1,00,001 से 1,50,000/- रुपये तक की आय का 10 प्रतिशत आयकर 5,000/- रुपये, 1,50,001 से 2,50,000/- रुपये तक की आय का 20 प्रतिशत आयकर 20,000/- रुपये तथा 2,50,000/- रुपये से ऊपर की शेष वार्षिक आय का 30 प्रतिशत आयकर 78,132/- रुपये होता है, इस प्रकार कुल आयकर राशि 1,03,132/- रुपये होती है, जिसे मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 5,10,441/- रुपये में से घटाने के उपरांत मृतक की कुल वार्षिक आय 4,07,309/- रुपये होती है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 37 वर्ष की आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आयकर विवरणिकाओं में अंकित जन्मतिथि 14.08.1970 के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु 37 वर्ष होना निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना मृतक 37 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित वार्षिक

आय पर 25 प्रतिशत की भविष्य वृद्धि की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। तदनुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 4,07,309/- रुपये का 40 प्रतिशत 1,62,924/- रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को मृतक की निर्धारित वार्षिक आय में जोड़े जाने के उपरांत मृतक की कुल वार्षिक आय 5,70,233/- रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

9. वक्त घटना मृतक के ऊपर कुल 05 आश्रित बताए गए हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या-1 मृतक की पत्नी, अपीलार्थी संख्या-2 व 3 मृतक के पुत्र-पुत्री तथा प्रोफोर्मा रेस्पोंडेंट संख्या-4 व 5 मृतक के माता-पिता हैं। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के बच्चों व पत्नी को ही मृतक पर आश्रित मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। जबकि मृतक के माता-पिता को भी वक्त घटना मृतक पर आश्रित माना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय मृतक के माता-पिता को भी वक्त घटना मृतक पर आश्रित मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/4 भाग की कटौती किया जाना उचित समझता है। तदनुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 5,70,233/- रुपये का 1/4 भाग 1,42,558/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित वार्षिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 4,27,675/- रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 4,27,675/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति $4,27,675 \times 15 = 64,15,125/-$ रुपये** होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 25,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम

न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

11. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

12. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2007 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या-1 को “स्पाउस कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये, मृतक के पुत्र-पुत्री अपीलार्थी संख्या-2 व 3 प्रत्येक को “पैरेण्टल कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये तथा मृतक के माता-पिता प्रोफोर्मा रेस्पोंडेंट संख्या-4 व 5 को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में प्रत्येक को 40,000/— रुपये (कुल 2,00,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 5,000/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है जो कम है। अतः अंतिम संस्कार की मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के

अनुसार 15,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः सम्पदा की हानि के मद में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार 15,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	64,15,125/-
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 2,00,000/-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		66,45,125/-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		36,90,000/-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		29,55,125/-

16. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **36,90,000/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **66,45,125/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

17. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

18. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

19. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

20. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /31